बिल का सारांश

पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) बिल, 2023

- पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) बिल, 2023 को 20 जून, 2023 को पंजाब विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले 12 एक्ट्स में संशोधन करता है जैसे: (i) पंजाबी विश्वविद्यालय एक्ट, 1961, (ii) आई.के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय एक्ट, 1996, (iii) शहीद भगत सिंह राज्य विश्वविद्यालय एक्ट, 2021, और (iv) गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय एक्ट, 2005।
- **विश्वविद्यालय के चांसलर**: वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल सभी 12 उल्लिखित विश्वविद्यालयों के लिए पदेन चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। चांसलर के पास विभिन्न शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं जिनमें वाइस-चांसलर जैसे अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां करने की शक्ति भी शामिल है। उल्लिखित कानूनों के अनुसार वाइस-चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह या सुझाव के अनुसार होनी चाहिए। बिल सभी 12 विश्वविद्यालयों के लिए पदेन चांसलर के रूप में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अलाया पूरेवाल
alaya@prsindia.org

1 सितंबर, 2023